रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2010/चैत्र 11, 1932

No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2010/CHAITRA 11, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 280(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बेतार तार-यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार तार-यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बेतार तार-यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) नियम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 8 में,—

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"पाठ्यक्रम के अनुसार, अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए परीक्षाएं ऐसे स्थान पर और ऐसी तारीख को ली जाएंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं ।"

(ख) अन्त में आने वाले टिप्पण का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 13 में "जैसे कि इन नियमों के उपाबन्ध-V में दिया गया है", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों से संलग्न "परिशिष्ट I", "परिशिष्ट II",और "उपाबंध V " का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एल-14011/255/2004-एएमटी]

वी. जे. क्रिस्टोफर, उप बेतार सलाहकार

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 1499/78 के तहत तारीख 25 अक्तूबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 385(अ), तारीख 9 जून, 2005 द्वारा उनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Co-ordination)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2010

G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Wireless Telegraphs (Amateur Service) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphs (Amateur Service) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Wireless Telegraphs (Amateur Service) Rules, 1978 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"The examinations for the grant of licence as per syllabus shall be held at a place and on a date as may be notified by the Central Government from time to time.";

(b) the Note occurring at the end shall be omitted.

3. In rule 13 of the said rules, for the words "as are set out in Annexure-V of these rules", the words "as authorized by the Central Government" shall be substituted.

4. "Appendix-I", "Appendix-II" and "Annexure-V" annexed to the said rules shall be omitted.

[F. No. L-14011/255/2004-AMT]

V. J. CHRISTOPHER, Dy. Wireless Adviser

Foot Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1499/78, dated the 25th October, 1978 and the last amendment was made *vide* No. G.S.R. 385(E), dated the 9th June, 2005.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.